[2018] 6 एस. सी. आर 593

असम का राज्य

वी.

भारत और ओआरएस का संघ।

(1988 के मूल सूट संख्या 2 में 2017 का आई. ए. No.80789)

20 जुलाई, 2018

[दीपक मिश्रा, सीजेआई, ए. एम. खानविलकर और डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908:ऑर्डर XI आर।14, आदेश VII आर।14–दस्तावेजों का उत्पादन–स्थलाकृतिक मानचित्र–असम और नागालैंड के बीच सीमा विवाद–भारतीय सर्वेक्षण से संबंधित व्यक्ति द्वारा स्थल–पत्रक की प्रमाणित प्रति का उत्पादन–हालांकि असम राज्य ने कुछ और स्थलाकृतिक मानचित्रों का उत्पादन करने की मांग की–नागालैंड राज्य द्वारा उठाई गई आपत्ति कि दस्तावेजों के उत्पादन के लिए अनुमति इस न्यायालय द्वारा मांगी गई थी और दी गई थी और वर्तमान चरण में अतिरिक्त दस्तावेजों का उत्पादन नहीं किया जा सकता है–आयोजितः दस्तावेज़ आवेदक के कब्जे में नहीं थे और इस न्यायालय का पूर्व आदेश असम राज्य को इस स्तर पर पेश करने से नहीं रोकेगा–भारतीय सर्वेक्षण के लिए गवाह द्वारा दस्तावेज़ों को पेश करने की अनुमति न्याय के हित में दी जानी चाहिए।

यह मुद्दा असम और नागालैंड के बीच सीमा विवाद में स्थलाकृतिक मानचित्रों के निर्माण से संबंधित है। अंतर्वर्ती आवेदन का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने कहाः मानचित्रों के उत्पादन की अनुमति न देने का कोई कारण नहीं है।अभि.सा. 9 के साक्ष्य दर्ज किए जा रहे हैं।भारतीय सर्वेक्षण के लिए गवाह द्वारा दस्तावेजों को पेश करने की अनुमति न्याय के हित में दी जानी चाहिए।दस्तावेज़ आवेदक के कब्जे में नहीं थे और इस न्यायालय का पूर्व आदेश असम राज्य को इस स्तर पर पेश करने की मांग करने से नहीं रोकेगा।चाहे जो भी हो, यह स्पष्ट किया जाता है कि दस्तावेजों की प्रासंगिकता या स्वीकार्यता से निपटा नहीं जाता है।नागालैंड राज्य इस तरह की आपत्तियां उठाने के लिए खुला रहेगा, जैसा कि सलाह दी जाती है।

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः1988 के मूल वाद संख्या 2 में 2017 का अंतर्वर्ती आवेदन No.80789।

अशोक एच. देसाई, के. एन. बालगोपाल, वरिष्ठ अधिवक्ता।, मनोज गोयल, शवोदीप रॉय। दशरथ डेका, पी. परमेश्वरन, मोहित डी. राम, जी. रामकृष्ण प्रसाद, सुयोधन बैरपानेनी, मोहम्मद।वसीय खान, सुश्री फिल्जा मूनिस, ए. पी. मुकुंद, सुश्री नित्या नांबियार, मोहिंदर सैनी, जितेंद्र सैनी, विस्टो रियो, अनिल श्रीवास्तव,

ऋतुराज चौधरी, एस. वसीम ए. कादरी, सुश्री बीनू टम्टा, सुश्री भारती त्यागी, बी. वी. बलराम दास, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. 1.सीमा विवाद

असम और नागालैंड के बीच इस न्यायालय के समक्ष वाद का विषय बनता है।भारतीय सर्वेक्षण के अभि.सा. 9–Md.Shafiqur रहमान के साक्ष्य की रिकॉर्डिंग 30 जनवरी 2017 को शुरू हुई।31 जनवरी 2017 को अपनी परीक्षा के दौरान, अभि.सा. 9 ने 33 टोपो–शीट की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत कीं।प्रासंगिक स्थलाकृतिक मानचित्रों को दाखिल करने की प्रक्रिया में, असम राज्य कुछ और मानचित्रों का उत्पादन करना चाहता है।

2. 2 जुलाई 2015 को, इस न्यायालय ने कुछ मानचित्रों को प्रस्तुत करने की अनुमति दी।असम राज्य के अनुसार मानचित्र देहरादून में भारतीय सर्वेक्षण के मुख्य कार्यालय में रखे गए हैं और इसके कब्जे या नियंत्रण में नहीं हैं।अभि.सा. 9 की जांच के दौरान, असम राज्य ने 24 फरवरी 2017,7 मार्च 2017 और 6 अप्रैल 2017 के अपने पत्रों द्वारा कुछ स्थलाकृतिक मानचित्रों के उत्पादन की मांग की।6 अप्रैल 2017 के पत्र के जवाब में, अभि.सा. 9 ने 18 जुलाई 2017 को नक्शे पेश करने की मांग की।हालाँकि, नागालैंड राज्य द्वारा इस आधार पर आपत्ति जताई गई थी कि चूंकि दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए अनुमति मांगी गई थी और इस न्यायालय द्वारा दी गई थी, इसलिए गवाह को वर्तमान स्तर पर अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।नागालैंड की आपत्ति को ध्यान में रखते हुए वर्तमान आवेदन दायर किया गया है।जो राहत मांगी गई है वह आवेदन के पैराग्राफ 4 में वर्णित मानचित्रों का उत्पादन है जो नीचे निकाला गया है:

Sl.No।	स्थल मानचित्र संख्या और पैमाना	Sl.No।	स्थल मानचित्र संख्या और पैमाना
1.	83 जी/13 (1 इंच से एक मील) (1923)	5.	83 जी–(1 इंच से 4 मील)
2.	83 जे/6 (1 इंच से एक मील) (1937)	6.	83 जे–(1 इंच से 4 मील)
3.	83 जे/9 (1 इंच से एक मील) (1938)	7.	83 एन–(1 इंच से 4 मील) (1936)

	83 जे/13 (1 इंच से एक मील) (1925)		

सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 11 नियम 14 इस प्रकार प्रदान करता हैः

"14. दस्तावेज़ प्रस्तुत करना–न्यायालय के लिए, किसी भी मुकदमे के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय, किसी भी पक्ष द्वारा अपने कब्जे या शक्ति में ऐसे दस्तावेज़ों को पेश करने का आदेश देना विधिसम्मत होगा, जो ऐसे मुकदमे में प्रश्नगत किसी भी मामले से संबंधित हैं, जिसे न्यायालय सही समझेगा; और न्यायालय ऐसे दस्तावेज़ों के साथ, जब प्रस्तुत किया जाएगा, तो ऐसी तरीके से व्यवहार कर सकता है जो उचित दिखाई देगा।"

आदेश VII नियम 14 इस प्रकार प्रदान करता हैः

"दस्तावेज़ का उत्पादन जिस पर वादी मुकदमा करता है या निर्भर करता है

(1) जहाँ कोई वादी किसी दस्तावेज़ पर मुकदमा करता है या अपने दावे के समर्थन में अपने कब्जे या शक्ति में दस्तावेज़ पर भरोसा करता है, वह ऐसे दस्तावेज़ों को एक सूची में दर्ज करेगा, और जब उसके द्वारा शिकायत प्रस्तुत की जाएगी तो उसे अदालत में पेश करेगा और उसी समय दस्तावेज़ और उसकी एक प्रति, जिसे शिकायत के साथ दायर किया जाना है, प्रदान करेगा।

(2) जहां ऐसा कोई दस्तावेज वादी के कब्जे या शक्ति में नहीं है, वह जहां भी संभव हो, बताएगा कि यह किसके कब्जे या शक्ति में है।

(3) एक दस्तावेज जिसे वादी द्वारा न्यायालय में तब प्रस्तुत किया जाना चाहिए जब वाद प्रस्तुत किया जाता है, या जिसे वाद में जोड़ा या संलग्न की जाने वाली सूची में दर्ज किया जाना चाहिए, लेकिन तदनुसार प्रस्तुत या दर्ज नहीं किया जाता है, न्यायालय की अनुमति के बिना, वाद की सुनवाई में उसकी ओर से साक्ष्य के रूप में प्राप्त नहीं किया जाएगा।

(4) इस नियम में कुछ भी वादी के गवाहों की प्रतिपरीक्षा के लिए प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ पर लागू नहीं होगा, या केवल अपनी स्मृति को ताज़ा करने के लिए गवाह को सौंपा जाएगा।"

3. विद्वान अधिवक्ता को सुनने और नागालैंड राज्य की आपत्ति का मूल्यांकन करने के बाद, हम मानचित्रों के उत्पादन को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं देखते हैं।अभि.सा. 9 के साक्ष्य दर्ज किए जा रहे हैं। भारतीय सर्वेक्षण के लिए गवाह द्वारा उपरोक्त दस्तावेजों को पेश करने की अनुमति, हमारे विचार में, न्याय के हित में दी जानी चाहिए।दस्तावेज़ आवेदक के कब्जे में नहीं थे और इस न्यायालय का पूर्व आदेश असम राज्य को इस स्तर पर पेश करने की मांग करने से नहीं रोकेगा।हालाँकि, हम स्पष्ट करते हैं कि हमने दस्तावेजों की

प्रासंगिकता या स्वीकार्यता पर ध्यान नहीं दिया है।नागालैंड राज्य के लिए यह खुला रहेगा कि वह इस तरह की आपत्तियां उठाए जो उसे उठाने और सभी उचित बचाव की सलाह दी जाती है।

4. ऊपर जो कहा गया है, उसके अधीन उत्पादन के लिए आवेदन की अनुमति है।तदनुसार, अंतर्वर्ती आवेदन का निपटारा कर दिया जाएगा।

निधि जैन

आई. ए. को हटा दिया गया।